कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई,
का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम,कानपुर स्थित समिति कक्ष

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/ 303 /सचिव (न.नि.)/12–13 दिनांक : 24.01.13

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री...,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,
नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक 16.01.13 दिन बुद्धवार को अपरान्ह में सम्पन्न हुई का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 25 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः
1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

दिनांक— 16.01.2013 दिन बुद्धवार को अपरान्ह में नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :—

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य
3.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
4.	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
5.	श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य
6.	मो0 वसी	पार्षद / सदस्य
7.	श्री इरफान खॉन	पार्षद / सदस्य
8.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
9.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
10.	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
11.	मो0 सलीम बेग	पार्षद / सदस्य
12.	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री एन0 के0 सिंह चौहान	नगर आयुक्त
2.	श्री उमाकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त
4.	श्री डी0 के0 गुप्ता	मु0वि0 एवं ले0अ0
5.	डॉ0 एल0 के0 तिवारी	मुख्य नगर स्वा0 अधिकारी
6.	डॉ0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वा0 अधिकारी चि0
7.	श्री लालता प्रसाद	कार्य0 मुख्य अभियंता "सिविल"
8.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता "वि0 / यॉ0"
9.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक,जलकल

सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा सभी सदस्यों से पूरक एवं अनुपूरक एजेण्डा में दर्शाये गये प्रस्तावों पर अपना—अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा गया।

प्रस्ताव संख्या—42 — श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, उप नेता सदन (पार्षद) एवं 6 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित, नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार :—

प्रस्ताव

स्व0 राजाराम दुबे निवासी कुली बाजार, कानपुर जो एक स्वत्रंता संग्राम सेनानी थे। स्व0 दुबे ने आजादी की लड़ाई में जेल यात्रा भी की है।

ह0.........महापौर

अतः कौशलपुरी गली नम्बर–4 का नामकरण स्वत्रंता संग्राम सेनानी स्व0 राजाराम दुबे के नाम से कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–43 – श्रीमती रीता शास्त्री द्वारा प्रस्तुंत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार :–

प्रस्ताव

विषयः– पार्क के नामकरण के सम्बन्ध में।

वार्ड 90 के अर्न्तगत एच–2 ब्लाक स्थित राशिः अपार्टमेन्ट के सामने वाले पार्क में आज तक कोई नाम नही रखा गया। अतः क्षेत्रीय जनता की मॉग पर उस पार्क का नाम ''गजानन'' पार्क रखने का अनुरोध किया जाता है। स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–44 – नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/230/पर्या0अभि0/प्रो0सेल/212–2013 दिनांक 07.01.2013 को नगर निगम की धारा 125 के अन्तर्गत मा0कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

:– प्रस्ताव –:

माह जुलाई 2012 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कानपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कुल चिन्हित 675 पार्क है। इन पार्को में से निम्न तालिका के अनुसार कतिपय पार्को में पूजा स्थलों का निर्माण कर क्षेत्रीय लोगों द्वारा पुजारी/मौलवी भी रखा गया है। पार्को का निर्माण क्षेत्रीय नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं वातावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से किया गया था, किन्तु स्थानीय नागरिकों द्वारा कालान्तर में पार्को की भूमि को अतिक्रमित कर उपरोक्त निर्माण कार्य करा लिया गया है। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पार्क में किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगायी गयी है। पार्को में स्थापित किये गये पूजा स्थलों का संचालन स्थानीय नागरिकों द्वारा इन्हीं पुजारियों/मौलवियों के माध्यम से किया जा रहा है एवं इन पर चढ़ावे के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि पर भी इनका ही अधिकार है, जबकि पार्को की मरम्मत, रख–रखाव, धार्मिक उत्सवों पर साफ सफाई का दायित्व नगर निगम का है।

1. इन पूजा स्थलों का स्वामित्व नगर निगम का है अतएव पूजा स्थलों का प्रबधंन करने वाले व्यक्तियो को नगर निगम के अधीन माना जायेगा। चढ़ावे में इन पूजा स्थलों पर आने वाली धनराशि/सामाग्री का विवरण रखा जायेगा तथा उसका उपयोग संम्बन्धित पूजा स्थल/पार्क व क्षेत्र के विकास पर किया जायेगा।

नगर निगम, कानपुर में स्थित कतिपय पूजा स्थलों वाले पार्कों की तालिका

क0स0	पार्क का नाम	स्थित मोहल्ला	जोन सं0	पार्क की स्थिति	मन्दिर में कार्यरत पुजारी का नाम

ह0.........महापौर

01	रज्जन बाबू हटिया पार्क	हटिया	1	अर्द्धविकसित	पं0 नीरज तिवारी
02.	आनन्द बाग पार्क	आनन्द बाग	1	अर्द्धविकसित	—
03	एल0आई0सी0 पार्क	सी ब्लाक श्याम नगर	2	अर्द्धविकसित	—
04	शहीद मेजर तलवार पार्क	कृष्णपुरम	2	विकसित	—
05	शिवाजी पार्क	आनन्दपुरी	3	विकसित	—
06	राधामाधव मन्दिर पार्क	के ब्लाक किदवई नगर	3	विकसित	पं0 तारापति शास्त्री
07	रामेश्वर मन्दिर पार्क	के ब्लाक किदवई नगर	3	अर्द्धविकसित	पं0 चन्द्र शेखर पाण्डे
08	कल्याणेश्वर मन्दिर पार्क	डब्लू ब्लाक केशव नगर	3	अविकसित	पं0 कुंज बिहारी मिश्रा
09	गणेश पार्क	गॉधी नगर	4	अर्द्धविकसित	पं0 गंगाराम दीक्षित
10	फूल वाली बड़ी पार्क	खलासी लाइन	4	विकसित	पं0 विनोद बाजपेई
11	काली मठिया पार्क	स्वरूप नगर	4	अर्द्धविकसित	पं0 सुनील सैनी
12	घण्टाघर पार्क	स्वरूप नगर	4	अर्द्धविकसित	पं0 अशोक
13	तकिया पार्क **(मस्जिद)**	प्रेम नगर	4	विकसित	—
14	सब्जी मण्डी पार्क	13 ब्लाक गोविन्द नगर	5	अविकसित	—
15	दुर्गा मन्दिर पार्क	दबौली	5	अर्द्धविकसित	—
16	माडल टाउन बड़ी पार्क	पाण्डव नगर	5	विकसित	पं0 मुरारी
17	दुर्गा मन्दिर तिकोनिया पार्क	लाजपत नगर	6	अर्द्धविकसित	पं0 नन्द किशोर मिश्रा

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा. कार्यकारिणी के माध्यम से मा. सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

तकिया पार्क (मस्जिद) के सन्दर्भ में पार्षद मो0 वसी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई।

नगर आयुक्त ने बताया कि सह सूची प्रतीकात्मक है। अभी बहुत से स्थल है जो सूची में शामिल नहीं हैं उन सभी को सूचीबद्ध किया जायेगा।

.... निर्णय लिया गया कि नगर निगम के स्वामित्व वाले पार्कों में निर्मित पूजा स्थलों के प्रबन्धन हेतु एक प्रक्रिया तैयार की जाए। प्रक्रिया का प्रस्ताव नगर आयुक्त के अधीन अधिकारियों की एक समिति तैयार करेगी जिसे महापौर द्वारा अन्तिम किया जाएगा।

ह0.........महापौर

प्रस्ताव संख्या–45 – मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय एंव सामाजिक सद्भाव समिति की दिनांक 30.07.2012 को हुई बैठक में कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत इण्टरमीडिएट की शिक्षिकायें क्रमशः श्रीमती नूतन शुक्ला, श्रीमती प्रतिमा बाजपेयी, श्रीमती कान्ति मिश्रा व श्रीमती विमला दुबे रू0 5500.00 प्रतिमाह तथा हाईस्कूल की शिक्षिकायें क्रमशः श्रीमती कौशल पचौरी व श्रीमती शशि बाला रू0 4500.00 रखी गयीं थीं। इनका पारिश्रमिक महंगाई को देखते हुए बढ़ाये जाने की मा0 समिति द्वारा अपेक्षा की गयी है। चूँकि यह शिक्षिकायें निरन्तर शिक्षा कार्य में लगी है, अतः मंहगाई को देखते हुए मानवीय आधार पर दोनों ही प्रवर्गो में रू0 500.00–500.00 का अतिरिक्त पारिश्रमिक मा0 समिति की मंशा के क्रम में मा0 कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत कर दिया गया है।

उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, इसे दृष्टान्त–स्वरूप अन्य प्रकरण में नहीं लिया जायेगा।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–46 –कार्यालय पत्र संख्या. **डी0/295/2/प** दिनांक 07**.01.2013** को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ पढ़ना/स्वीकृति प्रदान करना/हेतु प्रेषितः–

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के लिये प्रधानाध्यापिका, सहायक अध्यापिका, प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड एवं सहायक अध्यापिका सी0टी0 ग्रेड नर्सरी के पद सृजित है। इन पदों पर वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 03.11.12 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से छठवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाना है।

कमांक	पदनाम	दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतनमान एवं ग्रेड पे
01	प्रधानाध्यापिका	9300–34800, ग्रेड पे 4800/–
02	सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड	9300–34800, ग्रेड पे 4600/–

ह0.........महापौर

03	सहायक अध्यापिका सी0टी0ग्रेड नर्सरी	9300—34800, ग्रेड पे 4200/—

अतः दिनांक 01.01.2006 से शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार छठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की व्यवस्था के अनुमोदन हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... अनुमोदन प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या—47 – नगर निगम किराये की सम्पत्तियों व्यवसायिक/आवासीय सम्पत्तियों में किराये बढ़ाये जाने वाले प्रस्ताव को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ ।

जोन—1

दुकान का स्थल	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
कोतवाली के पीछे	20.07	22.72	456.16	रू0 375.00	7526	3763
क्राइस्टचर्च कालेज के पीछे	10.45	60.55	632.83	रू0 375.00	3761	1880
मूलगंज मीट शाप	10.03	01.69	16.94	रू0 375.00	3761	1880
नवीन मार्केट छोटी दुकान	07.34	14.73	108.16	रू0 425.00	3119	1559
नवीन मार्केट बड़ी दुकान	13.96	37.76	527.25	रू0 425.00	5933	2966
नवीन मार्केट (फ्लैट व छते)	136.70	16.45	2250	रू0 425.00	58097	29048

ह0.........महापौर

अमीर चन्द्र मेहरा पार्क	13.43	25.20	338.50	रू0 375.00	5036	2518
सरसैया घाट	05.11	4.97	25.41	रू0 375.00	1916	958
रोटी गोदाम मीट शाप	08.95	01.91	17.15	रू0 375.00	3356	1678
नील वाली गली	24.53	02.32	57.09	रू0 375.00	9198	4599
भगत सिंह मार्केट	10.35	18.53	191.86	रू0 330.00	3415	1707
नया गंज दालमण्डी	13.01	06.23	81.08	रू0 400.00	5204	2602
हटिया मार्केट	09.61	09.49	91.21	रू0 375.00	3603	1801
घण्टाघर	22.76	02.40	54.75	रू0 400.00	9104	4552
मरे क्रासिंग शाप	07.43	16.10	119.66	रू0 400.00	2972	1486
हमीरपुर रोड लक्ष्मलीपुरवा	15.61	05.82	91	रू0 350.00	5463	2731
इस्लामियां आर्ट स्कूल	06.69	02.04	13.66	रू0 375.00	2508	1254
कलेक्टरगंज हालसी रोड गुड़मण्डी	11	08.75	96.25	रू0 400.00	4400	2200

जोन–3

दुकान का स्थल	**प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर**	**वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर**	**वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया**	**जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया**	**जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक**	**प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत**

ह0.........महापौर

				प्रति वर्ग मीटर	किराया	
अली जहीर मार्केट किदवई नगर	13.94	3.34	रू0 54.00	रू0 275.00	3833.50	रू0 1917.00
न्यू लेबर कालोनी बाबूपुरवा	11.15	2.51	रू0 28.00	रू0 165.00	1839.75	रू 920.00
मुन्शी पुरवा	11.15	2.51	रू0 28.00	रू0 165.00	1839.75	रू 920.00

जोन–6

दुकान का स्थल	दुकानो की /फ्लैटो की संख्या	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
शास्त्री नगर ए –ब्लाक	20 दुकानें	15.79	3.16	50.00	275.00	4342.00	2171.00
शास्त्री नगर ए –ब्लाक	10 फ्लैट(दुकानों के ऊपर)	148.69	0.30	46.00	183.00	27210.00	13605.00
शास्त्री नगर बी –ब्लाक	10 दुकानें ए–2 दुकानें बी–8 दुकानें	21.84 18.58	2.28 2.69	50.00 50.00	275.00 275.00	6006.00 5110.00	3003.00 2555.00
शास्त्री नगर बी –ब्लाक(छैया	10 कमरें (दुकानों के	18.58	2.74	51.00	183.00	3400.00	1700.00

ह0.........महापौर

होटल)	ऊपर)						
पुरानी दुकानें शास्त्री नगर	10 दुकानें	20.07	2.29	46.00	275.00	5520.00	2760.00
पुरानी गल्ला मण्डी शास्त्री नगर	21 दुकानें	20.07	6.62	133.00	275.00	5520.00	2760.00
गीता बाजार शास्त्री नगर	(दुकानों के ऊपर निर्मित) ए–10 दुकानें बी–5 फ्लैट	 16.72 33.45	 2.99 0.98	 50.00 33.00	 275.00 275.00	 4598.00 9198.00	 2299.00 4599.00

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

नगर आयुक्त द्वारा अभियन्त्रण खण्ड–2 के अन्तर्गत निम्नाकिंत कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रस्तुत है।

प्र0सं0	**कार्य का नाम**	**मद**	**आगणन धनांक**	**निविदा धनांक**	**दर**	**ठेकेदार/फर्म का नाम**
48	वार्ड 53 देहली सुजानपुर में चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल से ई–144 से ई0डब्लू0एस0 3 से रज्जन के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य	5(3)बी	989763.00	880889.07	11% निम्न	मे0 गणेश एण्ड कं0
49	जोन–2 के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों पर पैच मरम्मत हेतु एस0डी0सी0 की आपूर्ति	5(3)बी	896880.00	834098.40	7% निम्न	मे0 कैला देवी कान्स0
50	वार्ड 53 देहली सुजानपुर में मो0 इदरीस के मकान से	5(3)बी	686891.	597595.	13%	मे0 गणेश एण्ड

ह0.........महापौर

	जगजीत अग्रवाल के मकान होते हुए बी–239 तक नाली की मरम्मत एवं सी0सी0 सड़क का सुधार।		00	17	निम्न	कं0
51	वार्ड 71 गांधी ग्राम में ट्रान्सफारमर से श्री प्रताप सिंह यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	5(3)बी	589432.00	530488.80	10% निम्न	मे0 मार्क इं0 प्रा0
52	वार्ड 86 सरैया में वी0आई0पी0 रोड से सरैया चौराहे तक नाली व सड़क सुधार कार्य।	5(3)बी	999034.00	847680.34	15.15% निम्न	मे0 दिलीप कुमार बाजपेई
53	वार्ड 53 देहली सुजानपुर में ग्राम देहली सुजानपुर मलिन बस्ती की 13 गलियों का सड़क सुधार कार्य (प्रथम पार्ट)	12(बी)	1551977.00	1320732.42	14.90% निम्न	मे0 गणेश एण्ड कं0

नगर आयुक्त द्वारा अभियन्त्रण खण्ड–3 के अन्तर्गत निम्नाकिंत कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रस्तुत है।

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम
54	जोन–3 के अन्तर्गत विभिन्न सड़को पर पैच मरम्मत हेतु एस0डी0बी0सी0 की आपूर्ति के कार्य हेतु।	5(3) बी–1	896880.00	7.00 % निम्न	834098.40	डी0एल0जी0 इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0
55	श्री बाल चन्द्र मिश्रा पूर्व मंत्री के निवास के सामने एवं एम.आई.जी 181 के सामने सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3) बी	972397.00	12.40 % निम्न	851819.77	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स
56	किदवई नगर स्थित बी ब्लाक मार्डन सुपर स्कूल से 128/33 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3) बी	955740.00	1180 % निम्न	834142.68	मेसर्स ओम बिल्डर्स
57	किइवई नगर स्थित सी ब्लाक मकान नं0 128/8 से 1287/22 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ्र का	5(3) बी	982943.00	13.50 % निम्न	850245.69	मेसर्स ओम बिल्डर्स

ह0.........महापौर

	सुधार कार्य।					
58	के0 ब्लाक में मकान नं0 128/123 से 128/129 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3) बी	1394224.00	16.99 निम्न	1157345.34	मेसर्स हिमालय ट्रेडर्स
59	एच.आई 70 के बीच विश्व बैंक कालोनी में श्री अच्छे लाल साहू के मकान के सामने सड़क का सुधार कार्य	9 (18) ए.	1553744.00	11.11 % निम्न	1381123.04	मेसर्स गणेश एण्ड कम्पनी

.... प्रस्ताव संख्या क्रमशः 48 से 59 तक पढ़े गये।

प्रस्ताव संख्या–60 –नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/316 /अ0अ0–4 दिनांक 30.10.12 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

जोन–4 के अन्तर्गत हनीमैन चौराहे से डी0 आई0 जी0 आवास होते हुये मछली वाला हाता तक बी.एम. व एस.डी.सी. कार्य (पार्ट–बी) का आंगणन धनांक रू0 9,67,630.00 का बनाया गया है, जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.10.11 को प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की निविदाये दिनांक 13.04.12 को मांगी गयी जिसमे कुल 06 निविदाये वैध प्राप्त हुयी है। सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स बी0 एन0 कान्सट्रक्शन की निविदा आंगणन से 6.62 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 9,03,572.89 पैसे की प्राप्त हुयी है। इस कार्य का व्यय रोड कटिंग के बजट हेड 5(3)बी2ए से प्रस्तावित है। उक्त कार्य को करवाने के लिये मां0 नगर विकास मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स बी0 एन0 कान्सट्रक्शन की निविदा आंगणन से 6.62 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 9,03,572.89 पैसे व्यय की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.09.12 को प्रदान कर दी गयी है। कार्यकारिणी समिति को **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–61 –नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/411–ए/अ0अ0–4 दिनांक–12.11.12 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

ह0.........महापौर

जोन–4 वार्ड 51 के अन्तर्गत ए.एन.डी. कालेज के जन्तु विज्ञान प्रयोगशाला के मरम्मत/जीर्णोद्वार कार्य का आंगणन धनांक रू0 9,57,004.00 का बनाया गया है। जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 12.10.12 को प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की निविदाये दिनांक 17.11.12 को मांगी गयी जिसमे कुल 07 निविदाये वैध प्राप्त हुयी है। सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स देवा ट्रेडर्स की निविदा आंगणन से 30.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 6,69,902.80 पैसे की प्राप्त हुयी है। इस कार्य का व्यय नगर निगम निधि के बजट हेड 5(3)बी से प्रस्तावित है।

अतः सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स देवा ट्रेडर्स की निविदा आंगणन से 30.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 6,69,902.80 पैसे व्यय की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 11.12.12 को प्रदान कर दी गयी है। कार्यकारिणी समिति को **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–62 – नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/401/अ0अ0–4 दिनांक– 03.12.12 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड 43 के अन्तर्गत 111/96 से 111/98 तक अपर नगर आयुक्त द्वितीय के निवास तक पार्क के चारों ओर सड़क सुधार कार्य का आंगणन धनांक रू0 8,74,488.00 का बनाया गया है। जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.09.12 को प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की निविदाये दिनांक 17.11.12 को मांगी गयी जिसमे कुल 06 निविदाये वैध प्राप्त हुयी है। सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स नन्दिनी कान्सट्रक्शन की निविदा आंगणन से 17.19 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 7,24,163.52 पैसे की प्राप्त हुयी है। इस कार्य का व्यय नगर निगम निधि के बजट हेड 5(3)बी से प्रस्तावित है।

अतः सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स नन्दिनी कान्सट्रक्शन की निविदा आंगणन से 17.19 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 7,24,163.52 पैसे व्यय की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.11.12 को प्रदान कर दी गयी है। कार्यकारिणी समिति को **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–63 –नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/399/अ0अ0–4 दिनांक– 03.12.12 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड 15 एवं 76 में मकान नं0 14/34ए से 14/18 श्रीमती नीलम रोमिला सिंह के मकान होते हुए 14/56 तक सी0सी0 द्वारा सड़क का सुधार कार्य का आंगणन धनांक रू0 8,90,198.00 का बनाया गया है। जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.09.12 को प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की निविदाये दिनांक 03.11.12 को मांगी गयी जिसमे कुल 07 निविदाये वैध प्राप्त हुयी है। सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स रक्षन्दा कान्सट्रक्शन कं0 की निविदा आंगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 7,56,668.30 पैसे की प्राप्त हुयी है। उक्त कार्य करवाने के लिये मा0 नगर विकास मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है।

ह0.........महापौर

अतः सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स रक्षन्दा कान्सट्रक्शन कं0 की निविदा आंगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 7,56,668.30 पैसे व्यय की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.11.12 को प्रदान कर दी गयी है। कार्यकारिणी समिति को **सूचनार्थ** प्रेषित है।
.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–64 – नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/400/अ0अ0–4 दिनांक– 03.12.12 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड 43 अशोक नगर में होटल ब्लिस से मकान नं0 111ए/366 से होते हुए 111/28 तक सी.यू.जी.एल. द्वारा काटी गयी ट्रेन्च का सुधार कार्य का आंगणन धनांक रू0 7,62,228.00 का बनाया गया है, जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.05.12 को प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की निविदाये दिनांक 03.11.12 को मांगी गयी जिसमे कुल 06 निविदाये वैध प्राप्त हुयी है। सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स पी0 ए0 इण्टरप्राइजेज की निविदा आंगणन दर पर धनांक रू0 7,62,228.00 पैसे की प्राप्त हुयी है। इस कार्य का व्यय रोड कटिंग का बजट हेड 5(3)बी2ए से प्रस्तावित है।

अतः सर्व निम्न निविदादाता मेसर्स पी0 ए0 इण्टरप्राइजेज की निविदा आंगणन दर पर धनांक रू0 7,62,228.00 पैसे व्यय की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.11.12 को प्रदान कर दी गयी है। कार्यकारिणी समिति को **सूचनार्थ** प्रेषित है।
.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–65 – कार्यालय पत्र संख्या. **234/डी0/स्टी/2012–13** दिनांक **22.12.2012** मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ / स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव

नगर निगम, कानपुर के मुख्यालय एंव दो जोनल कार्यालय कृष्णा नगर एंव किदवई में वीडियों कान्फ्रेसिंग का कार्य तेरहवे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि(वर्ष 2011–12) के अन्तर्गत आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत है। शासनादेश संख्या 785/78–2–2004–25 आई0टी0/2001 दिनांक 25.08.2004 के अन्तर्गत मेसर्स अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, कानपुर जिनकी दर निविदा की दर एंव अन्य राजकीय संस्थाओं में न्यूनतम है, से कराने हेतु धनांक रु0 15,86,810.00 के व्यय एवं अग्रिम भुगतान की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.12.2012 को प्रदान की गयी है (धनांक 14,00000.00 तेरहवें वित्त आयोग की किश्त (2011–12) से एंव शेष धनांक 1,86,810.00 नगर निगम निधि के अन्तर्गत किया जावेगा)समिति की संस्तुति के अनुसार अग्रिम भुगतान तीन किश्तों में किया जायेगा। मेसर्स

ह0.........महापौर

अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, कानपुर को प्रथम किश्त का अग्रिम भुगतान 50 प्रतिशत धनांक **7,93,405.00** मात्र का तेरहवें वित्त आयोग की किश्त से किया जाना है।

अतः अग्रिम भुगतान का उक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्कशाप फजलगंज

	कार्य का विवरण	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	फर्म का नाम
66	टाटा वाहन संख्या– UP77G/0179 एवं UP77G/0180 के प्रयोगार्थ दो नग बैट्री की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु	2(3)d-1	रू0 12,848=00	–	मेसर्स बेस्ट बैट्री सर्विस
67	जीप संख्या– UP78X/2680 के प्रयोगार्थ नई,बैट्री क्रय करने हेतु	2(3)d-1	रू0 8,087=00	–	मेसर्स बेस्ट बैट्री सर्विस

.... प्रस्ताव संख्या क्रमशः 66 व 67 पढ़े गये।

प्रस्ताव संख्या–68 – नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी /211 / न0आ0/ प्रो0सेल/ 2012–13 दिनांक. ..13.12.2012 के द्वारा प्रस्ताव मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

:– प्रस्ताव–:

कानपुर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं जिलाधिकारी की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त शोधन संयंत्र के संचालन कार्य हेतु नगर निगम की अवशेष एवं भविष्य का अंशदान नियमित रूप से किये जाने की अपेक्षा की गयी। महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर के अनुरोध पर कार्यहित में उक्त सी.ई.टी.पी. के रख–रखाव एवं संचालन हेतु 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त /भुगतान करने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.12.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

ह0.........महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–69</u> –नगर आयुक्त के पत्र संख्याः 199/न.आ./प्रो.सेल/2012–13 दिनांक 30.11.2012 को मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

<u>प्रस्ताव</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) की स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय के प. संख्याः पी.एम.यू./ 1469/124(3) जे.एन.एन.यू.आर. एम 2012–13 दिनांक 07 नवम्बर, 2012 के अनुसार परियोजना लागत रू. 27094.89 लाख (पुनरीक्षित लागत – 24079.87 लाख) के सापेक्ष निकाय अंश की अवशेष निकायांश की धनराशि रू. 3232.10 लाख प्राप्त हुई है । उल्लेखनीय है कि पूर्व मे शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी केन्द्राशं, राज्यांश तथा निकायांश की कुल प्राप्त धनराशि रू. 28359.57 लाख में से रू. 26327.47 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, तथा रू. 2032.10 लाख अवशेष है। शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम के अनुरोध पर योजना व कार्यहित में रू. 2032.10 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर को उपलब्ध कराने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.11.2012 को प्रदान की गयी जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–70</u> – नगर आयुक्त के पत्र संख्याः 198/न.आ./प्रो.सेल/2012–13 दिनांक 30.11.2012 को मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

<u>प्रस्ताव</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना (अवशेष भाग) फेज–2 की स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय के प. संख्याः पी.एम.यू./ 1469/124(3) जे.एन.एन.यू.आर. एम 2012–13 दिनांक 07 नवम्बर, 2012 के अनुसार परियोजना लागत रू. 37778.92 लाख (पुनरीक्षित लागत –47515.39 लाख) के सापेक्ष निकाय अंश की अवशेष निकायांश की धनराशि रू. 2381.40 लाख प्राप्त हुई है । उल्लेखनीय है कि पूर्व मे शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी केन्द्रांशं राज्यांश तथा निकायांश की कुल प्राप्त धनराशि रू. 38580322 लाख में से रू. 36198.80 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, तथा रू. 2381.42 लाख अवशेष है। शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम के अनुरोध पर योजना व कार्यहित में रू0 2381.42 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर को उपलब्ध कराने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.11.2012 को प्रदान की गयी जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

ह0.........महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–71</u> – नगर आयुक्त के पत्र संख्याः 185/न.आ./ प्रो.सेल/ 2012–13 दिनांक 30.10.2012 मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ अनुमोदनार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

जे. एन.एन. यू. आर. एम. योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना फेस–2 (अवशेष भाग) की स्वीकृति परियोजना की लागत धनराशि रू. 37778.92 लाख की पुनरीक्षित योजना रू. 475515.39 लाख की स्वीकृति शासन द्वारा शासनादेश संख्या 5980/नौ–5–2009–83 बजट/2010 टी.सी. दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को प्रदान की गयी , जिसके अनुक्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय के पत्र संख्याः पी. एम.यू./1170/124–(3)जे.एन.एन.यू.आर.एम./2012–13 दिनांक 24 अगस्त,2012 के अनुसार पुनरीक्षित लागत की बढ़ी हुई धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू 1253.31लाख की धनराशि कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ़प्र जल निगम कानपुर द्वारा उक्त धनराशि रू. 1253.31 लाख को योजना हित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः योजना व कार्यहित में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू. 1253.31 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ0 प्र0 जल निगम कानपुर को नगर आयुक्त द्वारा अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 30.10.2012 को प्रदान की गयी, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–72</u> –नगर आयुक्त के पत्र संख्याः 184/न.आ./ प्रो.सेल/ 2012–13 दिनांक 30.10.2012 मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ अनुमोदनार्थ प्रेषित।

:– प्रस्ताव –:

जे. एन.एन. यू. आर. एम. योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना फेस–1 (इनर ओल्ड एरिया) की स्वीकृति परियोजना की लागत धनराशि रू. 27094.89 लाख की पुनरीक्षित योजना रू. 34079.87 लाख की स्वीकृति शासन द्वारा शासनादेश संख्या 4263ए/नौ–5–2009–83 बजट/2010 टी.सी. दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को प्रदान की गयी , जिसके अनुक्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय के पत्र संख्याः पी.एम.यू./1170/124–(3)जे.एन.एन.यू.आर.एम./2012–13 दिनांक 24 अगस्त, 2012 के अनुसार पुनरीक्षित लागत की बढ़ी हुई धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू 1264.70लाख की धनराशि कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ़प्र जल निगम कानपुर द्वारा उक्त धनराशि रू. 1264़70 लाख को योजना हित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः योजना व कार्यहित में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू. 1264.70 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई,

ह0.........महापौर

उ0 प्र0 जल निगम कानपुर को नगर आयुक्त द्वारा अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 30.10.2012 को प्रदान की गयी, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–73 –विषयः– वार्ड 96 स्थित बी0एन0 भल्ला चिकित्सालय परिसर के पीछे रिक्त भूमि पर जोन–3 का जोनल कार्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव

जोन– 3 किदवई नगर सीमान्तर्गत वार्ड 96 स्थित बी0एन0भल्ला चिकित्सालय परिसर के पीछे लगभग 2340 वर्ग मीटर की भूमि रिक्त हैजिसमें जोन–3 का जोनल कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित किया जाता है। सहमति की दशा में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–74 विषयः– वार्ड 36 स्थित पहाड़पुर चुंगी के पास नगर निगम की रिक्त भूमि पर रैन बसेरा के निर्माण के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव

जोन–3 किदवई नगर सीमान्तर्गत वार्ड 36 स्थित पहाड़पुर चुंगी के पास नगर निगम की भूमि रिक्त पड़ी हुई है जिसमें रैन वसेरा निर्माण हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है जिसमें दो कमरें 12X12 , एक हाल, 2 शौचालय का निर्माण किया जा सकता है।

सहमति की दशा में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–75 डा0 एम0 वर्मा,, निवासी, 10/453–ए,खलासी लाइन, कानपुर, के द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

मैं, (श्रीमती एम0 वर्मा), काफी समय से पुराने महापौर से निवेदन करती रही हूॅ कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी दिवंगत शिव वर्मा के नाम से शहर के उस हिस्से को, जहां उनकी वृद्धावस्था का समय व्यतीत हुआ था, उनके नाम से आवंटित कर दें जिससे देशहित एवं समाज हित में उनके द्वारा किये गये कार्यो को (इस सम्बन्ध में पूरा विवरण आपको पहले ही सौंप दिया गया है)उचित महत्व मिल सकें।

ह0.........महापौर

यह स्थान 10/453 ए, खलासी लाइन का है, और इसी के आस–पास के स्थान को उनके नाम से जाना जायें तो अत्यन्त उचित होगा। इस प्रार्थना पत्र केसाथ ही एक नक्शा भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप उचित समझे तो इसके आधार पर, अथवा अन्य सदस्यों की सहमति के आधार पर आप निर्णय ले सकते है। (कुछ प्रस्तावित नामः– शिव वर्मा इनक्लेव, शिव वर्मा इस्टेट, शिव वर्मा नगर, शिव वर्मा स्मृति टाउन)

यदि यह कार्य शीध्र, अतिशीध्र हो सके तो मैं अनुग्रहीत होऊॅगीं।

.... 10/453 ए, खलासी लाइन जिस मार्ग पर स्थित है उस का नामकरण 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव वर्मा मार्ग' रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–76 श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अध्यक्ष, विवेकानन्द विहार विकास समिति, आवास विकास योजना संख्या –1, सत्यम विहार, कानपुर के द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति स्थापना हेतु।

हमारी समिति की स्थापना वर्ष 2003 जनवरी में हुई थी जिसका नामकरण विवेकानन्द जी के नाम पर किया। तत्पश्चात हमारी समिति के बीच स्थित पार्क का नामकरण विवेकानन्द पार्क किया गया।

इस सन्दर्भ में डा0 अनोखे लाल पाठक से वार्तालाप में यह विचार किया गया कि कानपुर में स्वामी विवेकानन्द जी की एक भव्य मूर्ति होनी चाहियें। उर्पयुक्त स्थान की दृष्टि से विवेकानन्द के नाम से स्थापित समिति एवं पार्क उचित लगा। अतः आपसे समिति अनुरोध करती है कि आप सक्रिय भागीदारी करके धन की व्यवस्था करके भव्य मूर्ति की स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाही करें।

सभापति द्वारा स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुये सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि उपरोक्त स्थल को स्वीकृत प्रदान करने में उनका व्यक्तित्व सीमित हो जायेगा। यदि आप सभी सहमत हों तो कारगिल उद्यान के पीछे स्थित मोतीझील के मध्य में पैडस्ट्रल बनाकर ऊॅचा करके स्वामी विवेकानन्द जी की भव्य मूर्ति स्थापित की जाये तथा मूर्ति के चारों तरफ फव्वारों एवं प्रकाश की विशेष व्यवस्था की जाये, जो कन्या कुमारी स्थित विवेकानन्द रॉक मेमोरियल के समान प्रतीत हो। सभापति ने माननीय सदस्यों के विचार आमंत्रित किये।

सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस कार्य हेतु मा0 महापौर की अध्यक्षता में एक समिति बनाया जाना उचित होगा जो स्वामी जी की महत्ता के अनुकूल मूर्ति, स्थापत्य तथा प्रकाश एवं अन्य व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देते हुये इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

अपर नगर आयुक्त ने सुझाव दिया कि नगर निगम द्वारा स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पुस्तक समस्त मा0 पार्षदों को वितरित की जाये।

.... प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0.........महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–77</u> **विषयः– <u>जोन–1 वार्ड 85 के अन्तर्गत कोपरगंज चौराहा स्थित तिलहन मार्केट के स्थल पर व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण।</u>**

<u>प्रस्ताव</u>

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अनर्तगत वार्ड –85 नगर का सर्वाधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। क्षेत्र. में कानपुर नगर निगम की सम्पत्ति **तिलहन मार्केट** के रूप में स्थापित है। इस स्थल पर वर्तमान में टिन शेड एवं ईंट खड़न्जे की फर्श पर है। उक्त स्थल पर नगर निगम के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 300.00 वर्ग मी0 है। स्थल की आवश्यकता को देखते हुये उक्त स्थल को **व्यवसायिक केन्द्र** के रूप में विकसित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त स्थल को सामुदायिक केन्द्र/व्यवसायिक केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण की उप विधियों के अनुरूप स्थल का मानचित्र तैयार कर कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–78</u> **विषयः– <u>जोन–1 वार्ड– 109 के अन्तर्गत कोपरगंज चुंगी स्थल पर नये व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण।</u>**

<u>प्रस्ताव</u>

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड –109 नगर का सर्वाधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र. में कानपुर नगर निगम की सम्पत्ति कोपर गंज चुंगी स्थल के रूप में कोपर गंज तिराहे पर स्थापित है, जिसकी वर्तमान स्थिति जर्जर है। उक्त स्थल पर नगर निगम के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 450.00 वर्ग मी0 है। स्थल की आवश्यकता को देखते हुये पुराने भवन को तोड़कर उक्त स्थल को व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त स्थल को व्यवसायिक केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण की उप विधियों के अनुरूप स्थल का मानचित्र तैयार कर कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

ह0.........महापौर

प्रस्ताव संख्या–79 विषयः– **जोन–1 वार्ड 109 के अर्न्तगत धनकुट्टी डिस्पेन्सरी के जीर्णशीर्ण भवन स्थल पर सामुदायिक केन्द्र/ व्यवसायिक केन्द्र का नर्माण।**

प्रस्ताव

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अनर्तगत वार्ड –109 नगर का सर्वाधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र. में कानपुर नगर निगम की सम्पत्ति **धनकुट्टी डिस्पेन्सरी** के रूप में स्थापित है तथा वर्तमान में जर्जर/जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उक्त स्थल पर नगर निगम के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 570.00 वर्ग मी0 है। स्थल की आवश्यकता को देखते हुये पुराने भवन को तोड़कर उक्त स्थल को सामुदायिक केन्द्र/व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त स्थल को **सामुदायिक केन्द्र/व्यवसायिक केन्द्र** के रूप में स्थापित किये जाने एवं भवन निर्माण की उप विधियों के अनुरूप स्थल का मानचित्र तैयार कर कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–80 नगर आयुक्त के पत्र दिनांक 12.01.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अर्न्तगत सूचनार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

श्री हरिश्चन्द्र सिंह, सम्पादक, कृते अमर उजाला पब्लिकेशन्स लि0 के पत्र दिनांक 12.01.2013 वार्ड सं0 27 सरोजनी नगर के अर्न्तगत मरियमपुर अस्पताल से विजय नगर तिराहे तक सड़क का नामकरण अतुल महेश्वरी ''अमर उजाला'' ग्रुप के प्रबन्ध निदेशक के नाम से नामकरण के सम्बन्ध में है, उक्त सड़क के नामकरण की स्वीकृत मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत के उपरान्त ही नामकरण किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत नामकरण की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति/निर्णयार्थ हेतु प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0.........महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–81</u> नगर आयुक्त के पत्रांक डी/94/सी0टी0ओ0212–13 दिनांक 14.01.13 के अन्तर्गत शासनादेश सं0 1275/9–9–12/205ज/12 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 2012 के अनुसार कर निर्धारण से छूटी हुयी सम्पत्ति की सूचना देनें पर प्रोत्साहन योजना ।

<u>प्रस्ताव</u>

शासनादेश सं0 1275/9–9–12/205ज/12 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 2012 के प्रस्तर–5 के अनुसार **"शतप्रतिशत कराच्छादन हेतु दिनांक 30 नवम्बर 2012 से (जिसे शासनादेश संख्या 1740/9–9–2012–205ज/12 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक बढ़ा दिया गया) पुरस्कार/प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जाये, जिसके अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से इस आशय का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये कि नगर में स्थित ऐसे भवन/भूमि जिनका कर निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, की सूचना/गोपनीय सूचना देनें वाले को, सूचना सत्य पाये जानें पर पुरस्कृत किया जायेगा । सूचना देनें वाले का नाम उसके अनुरोध पर गोपनीय रखा जा सकता है । इस हेतु स्थानीय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुकूल पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण नगर निगमों द्वारा तथा नगर पालिका परिषदों/पंचायतों में कर लिया जाये । पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि प्रश्नगत नव– कराच्छादित भवनों के एक वर्ष के सम्पत्तिकर के समतुल्य व कम से कम 50 प्रतिशत तक निर्धारित किया जा सकता है ।"**

शासनादेश में वर्णित पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि के निर्धारण के सन्दर्भ में प्रस्ताव है कि सूचना सहीं पाये जाने तथा कर निर्धारण की कार्यवाहीं पूर्ण होने पर निर्धारित सम्पत्ति कर के अनुसार नव– कराच्छादित भवन/भवनों के एक वर्ष के सम्पत्तिकर की 50 प्रतिशत धनराशि पुरस्कार/प्रोत्साहन के रूप में सूचना देनें वाले व्यक्ति को दिये जानें पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–82</u> नगर आयुक्त के पत्रांक डी/95/सी0टी0ओ0212–13 दिनांक 14.01.13 के द्वारा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(2) के अन्तर्गत :–

<u>विशेष प्रस्ताव</u>

श्री गोविन्द प्रसाद द्विवेदी, निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ के पत्र संख्या 01/पी0ए0/6–स्व0सं0सेनानी/12 दिनांक 6.11.12, जिसमें मा0 महापौर, कानपुर नगर को सम्बोधित करते हुये कानपुर नगर निगम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जलकर/भवनकर निःशुल्क किये जानें हेतु अनुरोध किया गया है । इसके क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(2) में निम्न व्यवस्था है :–

ह0.........महापौर

''(निगम) राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है।''

इस सन्दर्भ में कानपुर नगर निगम में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नगर निगम सीमा में एक आवासीय भवन हो और यह भवन नगर निगम कर निर्धारण सूची में उन्हीं के नाम अथवा उनकी विधवा के नाम अंकित हो तथा स्वयं निवासित हो, के उस भाग को सामान्य कर से मुक्त रखे जानें हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मा0 सदन के निर्णयानुसार प्रकरण राज्य सरकार को पुष्टि हेतु प्रेषित किया जायेगा ।

सभापति ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ–साथ युद्ध में शहीदों की विधवाओं एवं पूर्व सैनिक, जिनका शहर में एक आवास हो, उनके नाम अंकित हो तथा स्वनिवासित हो, को भी सम्मिलित करते हुये सामान्य कर से मुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–83</u> जोन–5 सीमान्तर्गत वार्ड 98 जागेश्वर अस्पताल परिसर गोविन्द नगर एवं वार्ड 07 निराला नगर में स्थित नगर निगम की दुकाने मासिक किराये पर है जिसकी किराया वृद्धि का प्रस्ताव जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा वर्ष 2012–13 में निर्धारित मासिक किराया के अनुसार वृद्धि का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने हेतु निम्नवत् प्रस्तावित किया जाता हैः–

<u>प्रस्ताव</u>

दुकान का स्थल	दुकानों की /फ्लैटो की संख्या	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
जागेश्वर अस्पताल परिसर गोविन्द नगर	40 दुकान 02 दुकान 01 दुकान	7.43 5.57 5.20	96.90 96.94 96.92	720 540 504	375.00 375.00 375.00	2786.25 2088.75 1950.00	1393.12 1044.37 975.00
दीप सिनेमा के सामने निराला नगर	12 दुकान	11.15	64.57	720.00	375.00	4181.25	2090.62

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

ह0.........महापौर

प्रस्ताव संख्या–84

जोन–4

प्रस्ताव

दुकान का स्थल	प्रति दुकान की अनुमानित औसत माप वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	वर्तमान में प्राप्त प्रति दुकान का मासिक औसत किराया	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार औसत किराया प्रति वर्ग मीटर	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रति दुकान मासिक किराया	प्रस्तावित दर पर दुकान का मासिक किराया 50 प्रतिशत
बेनाझावर	5.95	11.72	69.75	400.00	198.33	99.16
साइकिल मार्केट परेड	9.29	12.10	112.40	450.00	348.37	174.18
फोर्ड मेकडोनाल्ड	13.94	1.29	17.98	300.00	348.50	174.25
बजरिया मार्केट	22.30	2.96	59.98	450.00	836.25	418.13
सीसामऊ बाजार	11.22	1.81	20.30	350.00	327.25	163.62
इन्दिरा मार्केट (सीसामऊ)	11.82	1.94	20.42	350.00	344.75	172.37

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–85 नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी 238/न.आ./प्रो. सेल/2012–13 दिनांक.14.01.13 को मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव–:

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत कानपुर की पेयजल आपूर्ति पार्ट–2 (अवशेष भाग) हेतु मूल योजना की लागत रू. 37778.92 लाख की पुनरीक्षित योजना लागत रू. 47515.39 लाख हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में शासन के शासनादेश संख्या : 5980/नौ–5–2011–86 बजट /2011 टी.सी.दिनांक 28.12.2011 के अनुसार पुनरीक्षित योजना की बढ़ी हुई लागत रू. 9736.47 लाख में 4976.74 लाख सेन्टेज चार्ज भी सम्मिलित है, को राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रू. 6815.53 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रू. 2920.94 लाख वहन किया जाना होगा। अवगत कराना है कि नगर निगम द्वारा अपने श्रोतों से उक्त धनराशि 2920.94 लाख वहन किया जाना सम्भव नही है। जनहित में शहर की पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

ह0.........महापौर

अतः उक्त कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित योजना में बढ़ी हुई धनराशि लागत के अन्तर्गत की धनराशि रू. 2920.94 लाख जो निकायांश के रूप में वहन किया जाना है, को राज्य सरकार के नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–86 नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी 239/न.आ./प्रो. सेल/2012–13 दिनांक.14.01.13 को मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव–:

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत कानपुर की पेयजल आपूर्ति पार्ट–1 (इनर ओल्ड एरिया) हेतु मूल योजना की लागत रू. 27094.89 लाख की पुनरीक्षित योजना लागत रू. 34079.87 लाख हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में शासन के शासनादेश संख्या : 4363/नौ–5–2011–86बजट /2010 टी.सी.दिनांक 22.12.2011 के अनुसार पुनरीक्षित योजना की बढ़ी हुई लागत रू. 6984.98 लाख में रू. 3624.88 लाख सेन्टेज चार्ज भी सम्मिलित है, को राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रू. 4889.49 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रू. 2095.49 लाख वहन किया जाना होगा। अवगत कराना है कि नगर निगम द्वारा अपने श्रोतों से उक्त धनराशि रू. 2095.49 लाख वहन किया जाना सम्भव नही है। जनहित में शहर की पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

अतः उक्त कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित योजना में बढ़ी हुई धनराशि लागत के अन्तर्गत की धनराशि रू. 2095.49 लाख जो निकायांश के रूप में वहन किया जाना है, को राज्य सरकार के नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

मार्ग प्रकाश विभाग के प्रस्ताव सूचनार्थ

अनु0 प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम
87	नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा एवं बकरीद इत्यादि पर्व पर शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 3946 नग ट्यूब लाइट चोक 40 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	698,678.76	मे0 राजकमल मार्केटिंग
88	नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा एवं बकरीद इत्यादि पर्व पर शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 865 नग सी0एफ0एल0 85 वाट का क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	643,066.95	मे0 राजकमल मार्केटिंग

ह0.........महापौर

89	नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा एवं बकरीद इत्यादि पर्व पर शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 188 नग टी0पी0 स्विच 63 एम्पी0 के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	733,200.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
90	बारासिरोही स्थित स्वराज वृद्धा आश्रम में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु 02 नग सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित कराये जाने हेतु।	4(1)D 4103301	40,202.00	यू0पी0 नेडा कानपुर
91	आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय में प्रकाश व्यवस्था हेतु 02 नग सोलर स्ट्रीट लाइट(एल0ई0डी0) स्थापित कराये जाने हेतु।	4(1)D 4103301	40,202.00	यू0पी0 नेडा कानपुर
92	बकरीद एवं दीपावली पर्व पर शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 2000 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	966,000.00	मे0 एम0एम0 सेल्स का0
93	बकरीद एवं दीपावली पर्व पर शहर में जोन–2, 3 व 5 के अन्तर्गत लगे टावरों की फ्लड लाइट फिटिंगों के बन्द बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 261 नग सोडियम चोक 400 वाट के क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	548,100.00	मे0 डी–कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0
94	नागरिकों की मांग पर मा0 महापौर जी के द्वारा तत्काल प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु 100 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 100 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट के क्रय हेतु।	4(1)D4103301	861,800.00	मे0 स्पार्ट एजेन्सीजमे0 एम0एम0 सेल्स का0मे0 अर्जन इण्टरप्राइजेजमे0 संजय ब्रदर्समे0 आधुनिक ट्रेडर्समे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
95	सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 50 नग सोडियम फिटिंग एवं 50 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग के क्रय हेतु।	4(1)D 4103301	524,044.00	मे0 एम0एम0 सेल्स का0 मे0 अर्जन इण्टरप्राइजेज मे0 कृपा इलेक्ट्रिकल्स मे0 संजय ब्रदर्स मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स

.... क्रमशः प्रस्ताव संख्या–87 से लेकर 95 तक पढ़े गये।

ह0.........महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–96</u> विषयः– पनकी स्वराज्य नगर सी ब्लाक स्थित प्लाट सं0 56,57 के पास रोड का नामकरण '' सत्संग मार्ग '' रखने के सम्बन्ध में।

<u>प्रस्ताव</u>

पनकी स्वराज्य नगर पनकी सी ब्लाक स्थित प्लाट सं. 56 और 57 में परम पिता पुरूषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र जी के शिष्यों द्वारा परिचालित सत्संग केन्द्र विगत दस साल से है जिसके सामने से एक रास्ता गीता पैलेस के बगल से होते हुये नहर रोड से मिलती है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 200 मीटर है। सत्संग केन्द्र इस रोड का नामकरण सत्संग मार्ग करने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–97</u> विषयः– नमक फैक्ट्री चौराहे को सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा के नाम से नामकरण करना एवं सरदार पटेल जी की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

<u>प्रस्ताव</u>

पटेल महिला सेवा समिति (रजि0) (कार्यालय 117/पी/25, काकादेव, कानपुर) के मंत्री श्रीमती उषा सचान ने नमक फैक्ट्री चौराहे को सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा के नाम से नामकरण करना एवं सरदार पटेल जी की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया है। अतः समिति निवेदन करती है कि नमक फैक्ट्री चौराहा काकादेव को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से नामकरण एवं एक भव्य मूर्ति स्थापित करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है। मूर्ति की व्यवस्था समिति द्वारा की जायेगी।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री जितेन्द्र कुमार ने कहा कि सफाई हेतु कूड़ा गाड़ियों की व्यवस्था की जाये।

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सहायक निदेशक सी0सी0 ने बताया कि 2000 लोहे की एवं 500 फाइबर की कूड़ा गाड़ियॉ तैयार हो रही है, जो 15 दिन के अन्दर उपलब्ध हो जायेंगी, परिणाम स्वरूप क्षेत्रों से कूड़ा उठान में तेजी हो जायेगी।

उप सभापति ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में कुछ कूड़ा गाड़ियों की केवल नीचे की चद्दर टूटी है उनकी मरम्मत कराई जाये तथा ठूॅठ खड़े हैण्डपम्पों को उखड़वा कर आवश्यकतानुसार दूसरी जगह हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाये।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम को निर्देशित किया कि क्षेत्रीय पार्षदों से हैण्डपम्प रिबोर हेतु विचार विमर्श किया जाये तथा खराब हैण्डपम्पों को उखड़वा कर उनका सामान जलकल स्टोर भेजा जाये तथा क्षेत्रीय पार्षद की देख–रेख में उनके निर्देशानुसार जहॉ पानी की विशेष आवश्यकता हो उस पार्षद के क्षेत्र में दो–दो हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाये।

.... आज दिनांक–16.01.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि की गई।

तत्पश्चात् सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

(जगत वीर सिंह द्रोण)
महापौर/सभापति

ह0.........महापौर